

कार्यालय : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नरसिंहपुर (म0प्र0)

// कार्य विभाजन आदेश //

क्रमांक—क्यू/एक-11-1/80

नरसिंहपुर, दिनांक— 02 जनवरी 2023

मैं, महेश कुमार शर्मा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नरसिंहपुर, धारा 15(1), सिविल न्यायालय अधिनियम 1958 एवं धारा 10 (दो), धारा 194, 381(2), 408 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारो के पालन में पूर्ववर्ती समस्त कार्य विभाजन आदेश को निरस्त करते हुये वर्तमान में न्यायिक जिला नरसिंहपुर में पदस्थ सभी न्यायालयों हेतु आगामी आदेश तक कार्य किये जाने हेतु निम्नानुसार कार्य विभाजन करता हूँ, जो कि **02 जनवरी 2023** से प्रभावशील होगा :-

| न्यायालय | क्षेत्र | किये जाने वाले कार्य का विवरण |
|---|---------------------------------|--|
| (1) | (2) | (3) |
| 1-प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नरसिंहपुर (एम.के.शर्मा) | नरसिंहपुर करेली गोटेगाँव तहसील। | 1- दस करोड़ रुपये से अधिक मूल्यांकन के समस्त सिविल वाद प्रवर्तन आवेदन पत्र तथा सिविल विविध मामला। 2- म0प्र0 नगरपालिका अधिनियम के अंतर्गत चुनाव याचिकायें। 3- व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत ट्रांसफर आफ केसेस से संबंधित आवेदन पत्र। 4- लोक परिसर (अनाधिकृत आधिपत्य धारियों से निष्कासन) (एविक्शन आफ अन अथराइज्ड आक्यूपेंट) अधिनियम 1971 के अंतर्गत अपीलें। 5- इसी न्यायालय व दावा अधिकरण द्वारा पारित निर्णय आदेश से संबंधित निष्पादन एवं विविध प्रकरण व अपीलीय आदेश का क्रियावयन। |

| न्यायालय | क्षेत्र | किये जाने वाले कार्य का विवरण |
|----------|---------|---|
| (1) | (2) | (3) |
| | | <p>6- मोटरयान अधिनियम 1988 के अंतर्गत समस्त मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण एवं प्रवर्तन आवेदन पत्र (तहसील गाडरवारा एवं तेन्दूखेड़ा के अंतर्गत आने वाले थाना क्षेत्रों को छोड़कर), अन्य सम्पूर्ण जिले के थाना क्षेत्रों से सम्बंधित मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण एवं अन्य सभी क्लेम याचिकायें।</p> <p>7- प्रथम/द्वितीय/तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड नरसिंहपुर तथा प्रथम/द्वितीय अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड नरसिंहपुर के आज्ञप्तियों/आदेशों के विरुद्ध समस्त अपीलें तथा अन्य सभी व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड एवं कनिष्ठ खंड के रिक्त न्यायालय के निर्णय एवं आज्ञप्ति के विरुद्ध अपीलें।</p> <p>8- प्रथम/द्वितीय/तृतीय/पंचम, व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड नरसिंहपुर तथा प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड नरसिंहपुर के न्यायालय के चतुर्थ अतिरिक्त न्यायाधीश के आज्ञप्तियों/आदेशों के विरुद्ध समस्त अपीले।</p> <p>9- द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड, गोटेगांव के आज्ञप्तियों/आदेशों के विरुद्ध समस्त अपीलें।</p> <p>10- प्रशिक्षु न्यायाधीश/अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड, नरसिंहपुर के आज्ञप्तियों/आदेशों के विरुद्ध समस्त अपीले।</p> <p>11- रेन्ट कन्ट्रोलिंग अथारटी नरसिंहपुर के आदेशों के विरुद्ध अपीले।</p> <p>12- म.प्र.पंचायत अधि. 1961 की धारा 262 के अंतर्गत रिफरेंस।</p> <p>13- समस्त आवेदन पत्र/अपीले/रिफरेंस जो कि अन्य अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत हो जिन्हें अन्य न्यायालयों को आबंटित न किया गया हो।</p> |

| न्यायालय | क्षेत्र | किये जाने वाले कार्य का विवरण |
|----------|---------------------|--|
| (1) | (2) | (3) |
| | | <p>14- सती निवारण अधिनियम 1987 के अंतर्गत प्रकरण।</p> <p>15- नगरपालिका अधिनियम से संबंधित(टेक्स से) अपील प्रकरण। समस्त व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड एवं कनिष्ठ खंड, नरसिंहपुर द्वारा शासन के विरुद्ध पारित अस्थाई निषेधाज्ञा/डिक्री/निर्णय से उत्पन्न विविध एवं नियमित समस्त अपीलों।</p> <p>16- आदेश 21 नियम 8 सी.पी.सी. के अंतर्गत बाहर से आने वाली समस्त इजराय/टी.सी.।</p> <p>17- भू-अर्जन के अंतर्गत रिफरेंस व अपील।</p> <p>18- तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड, नरसिंहपुर के न्यायालय के आज्ञप्तियों/ आदेशों के विरुद्ध समस्त अपीलों।</p> <p>19- तहसील नरसिंहपुर, गोटेगांव एवं करेली से उत्पन्न लोक न्यास अधिनियम से सम्बंधित समस्त प्रकरण।</p> <p>20- विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 की धारा 20 (ख) के अंतर्गत गठित विशेष न्यायालय के लिए अधोसंरचना परियोजनाओं से संबंधित संविदाओं के बारे में क्षेत्राधिकार के दावे संपूर्ण जिला नरसिंहपुर के।</p> <p>21- ग्राम न्यायालय, नरसिंहपुर से उत्पन्न सिविल नियमित एवं विविध अपील। (शासन के विरुद्ध पारित अपीलों को छोड़कर)</p> |
| | नरसिंहपुर सत्र खण्ड | <p>1- समस्त सत्र विचारण प्रकरण।</p> <p>2- आपराधिक पुनरीक्षण।</p> <p>3- आपराधिक अपीले।</p> <p>4- सत्र प्रकरणों तथा आपराधिक अपीलों से संबंधित विविध आपराधिक प्रकरण तथा जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 438, 439 दं0प्र0सं0।</p> |

| न्यायालय | क्षेत्र | किये जाने वाले कार्य का विवरण |
|--|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| | | <p>5- मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अंतर्गत दंड याचिकायें।</p> <p>6- दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अन्तर्गत ट्रांसफर ऑफ केसेस से संबंधित आवेदन पत्र।</p> <p>7- ग्राम न्यायालय नरसिंहपुर से सम्बंधित अपीलें।</p> <p>8- तहसील गोटेगांव में पदस्थ श्री बॉबी सोनकर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, द्वारा निराकृत आपराधिक प्रकरणों से उत्पन्न आपराधिक अपीलें एवं पुनरीक्षण के संबंध में प्रारंभिक सुनवाई हेतु प्रस्तुत होने वाले आवेदन पत्र।</p> |
| <p>2- विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटी) एवं प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश नरसिंहपुर के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश नरसिंहपुर (श्री अखिलेश शुक्ला)</p> | <p>.....</p> <p>नरसिंहपुर सत्र खण्ड</p> | <p>1- प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा अंतरित समस्त सिविल वाद, अपीलें एवं अन्य कार्यवाहियां।</p> <p>2- निराकृत सिविल वादो/मोटर दावा प्रकरणों में पारित आज्ञापति तथा अवार्ड के प्रवर्तन प्रकरण/विविध सिविल प्रकरण।</p> <p>3- मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण तथा प्रवर्तन आवेदन पत्र जो कि प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा अंतरित किये जावें।</p> <p>1- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के अंतर्गत अपराधो से संबंधित विशेष प्रकरण तथा प्रतिभूति आवेदन पत्र तथा विविध आपराधिक प्रकरण।</p> <p>2- सत्र न्यायाधीश नरसिंहपुर द्वारा अंतरित सत्र प्रकरण, आपराधिक अपीलें, आपराधिक पुनरीक्षण तथा जमानत आवेदन पत्र।</p> |

| न्यायालय | क्षेत्र | किये जाने वाले कार्य का विवरण |
|--|------------------------|--|
| (1) | (2) | (3) |
| <p>3-प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश नरसिंहपुर व विशेष न्यायाधीश, (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम), (एन. डी. पी.एस.एक्ट) नरसिंहपुर (श्री अखिलेश कुमार धाकड़)</p> | <p>नरसिंहपुर तहसील</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1- एक करोड़ एक रूपये से दस करोड़ रूपये मूल्यांकन तक के समस्त सिविल वाद प्रवर्तन आवेदन पत्र तथा सिविल विविध मामला । 2- आरबीट्रेशन एण्ड कन्सीलिएशन एक्ट 1996 की धारा 9 व 11 के अंतर्गत तथा धारा 34, 36 के अंतर्गत आवेदन एवं निष्पादन प्रकरण । 3- इंडियन ट्रस्ट एक्ट के अंतर्गत प्रकरण । 4- भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के प्रकरण (भाग-10) को छोड़कर । 5- लघुवाद दावे रू0 501 से 1000 तक । 6- प्रांविशियल इन्सालवंशी एक्ट के अंतर्गत दावे/याचिकायें । 7- प्रथम जिला न्यायाधीश द्वारा निराकृत सिविल वादो/मोटर दुर्घटना दावा प्रकरणों में पारित आज्ञाप्ति तथा अवार्ड के प्रवर्तन प्रकरण/विविध सिविल प्रकरण । 8- चतुर्थ जिला न्यायाधीश, नरसिंहपुर द्वारा निराकृत सिविल वादों/मोटर दावा प्रकरणों में पारित आज्ञाप्ति तथा अवार्ड के प्रवर्तन प्रकरण/विविध सिविल प्रकरण, अथवा उक्त न्यायालयों के आदेश/निर्णय से उत्पन्न होकर अपील न्यायालय के आदेश के पालन में की जाने वाली समस्त कार्यवाहियां, तथा चेक भुगतान की कार्यवाहियां । 9- मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण तथा प्रवर्तन आवेदन पत्र जो कि प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा अंतरित किये जावें । 10- प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा अंतरित समस्त सिविल वाद अपीलें एवं अन्य कार्यवाहियां । |

| न्यायालय | क्षेत्र | किये जाने वाले कार्य का विवरण |
|---|--------------------------|--|
| (1) | (2) | (3) |
| | सत्र खण्ड | <p>1- भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1947 एवं 1988 के अंतर्गत उत्पन्न समस्त प्रकरण एवं संबंधित रिमांड तथा जमानत आवेदन पत्र ।</p> <p>2- सत्र न्यायाधीश नरसिंहपुर द्वारा अंतरित सत्र प्रकरण आपराधिक अपीलें, आपराधिक पुनरीक्षण तथा जमानत आवेदन पत्र ।</p> <p>3- लंबित सत्र प्रकरण, आपराधिक अपीलों से संबंधित विविध आपराधिक प्रकरण व जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 438, 439 दं. प्र. सं. ।</p> <p>4- स्वापक औषधि एवं मनोत्तेजक पदार्थ अधिनियम के अंतर्गत अपराधों से संबंधित विशेष प्रकरण, रिमांड तथा प्रतिभूति आवेदन पत्र तथा विविध आपराधिक प्रकरण ।</p> <p>5- मध्य प्रदेश निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2000 से संबंधित प्रकरण, प्रतिभूति आवेदन पत्र एवं विविध कार्यवाहियां ।</p> |
| 4- द्वितीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश नरसिंहपुर (श्री कपिल कुमार मेहता) | करेली एवं गोटेगांव तहसील | <p>1- एक करोड़ एक रुपये से दस करोड़ रुपये मूल्यांकन तक के समस्त सिविल वाद प्रवर्तन आवेदन पत्र तथा सिविल विविध मामला ।</p> <p>2- आरबीट्रेशन एण्ड कन्सीलिएशन एक्ट 1996 की धारा 9 व 11 के अंतर्गत तथा धारा 34, 36 के अंतर्गत आवेदन एवं निष्पादन प्रकरण ।</p> <p>3- इंडियन ट्रस्ट एक्ट के अंतर्गत प्रकरण ।</p> <p>4- भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के प्रकरण (भाग-10) को छोड़कर ।</p> |

| न्यायालय | क्षेत्र | किये जाने वाले कार्य का विवरण |
|---|-----------|--|
| (1) | (2) | (3) |
| | | <p>5- लघुवाद दावे रू0 501 से 1000 तक ।</p> <p>6- प्रांविशियल इन्सालवेंशी एक्ट के अंतर्गत दावे/याचिकायें ।</p> <p>7- निराकृत सिविल वादो/मोटर दुर्घटना दावा प्रकरणों में पारित आज्ञाप्ति तथा अवार्ड के प्रवर्तन प्रकरण/विविध सिविल प्रकरण ।</p> <p>8- मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण तथा प्रवर्तन आवेदन पत्र जो कि प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा अंतरित किये जावें ।</p> <p>9- प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा अंतरित समस्त सिविल वाद अपीलें एवं अन्य कार्यवाहियां ।</p> |
| | सत्र खण्ड | <p>1- लंबित सत्र प्रकरणों तथा आपराधिक अपीलों से संबंधित विविध आपराधिक प्रकरण तथा जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 438, 439 दं0प्र0सं0 ।</p> <p>2- सत्र न्यायाधीश, नरसिंहपुर द्वारा अंतरित सत्र प्रकरण, आपराधिक अपीलें, आपराधिक पुनरीक्षण तथा प्रतिभूति आवेदन पत्र ।</p> |
| 5- तृतीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, नरसिंहपुर (रिक्त न्यायालय) | | <p>1- तृतीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, नरसिंहपुर की न्यायालय के द्वारा निराकृत प्रकरणों से उत्पन्न होकर अपील न्यायालय के आदेश के पालन में की जाने वाली समस्त कार्यवाहियां तथा तृतीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश नरसिंहपुर(रिक्त न्यायालय) को माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर से अंतरित होकर प्राप्त होने वाले आदेश/मूल अभिलेख एवं विभिन्न पत्रावलियों से संबंधित कार्यवाहियां प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, नरसिंहपुर (श्री अखिलेश धाकड़) द्वारा की जावेंगी ।</p> |

| न्यायालय | क्षेत्र | किये जाने वाले कार्य का विवरण |
|--|---------------------------------------|--|
| (1) | (2) | (3) |
| <p>6- चतुर्थ जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश तथा विशेष न्यायाधीश (पाक्सो अधिनियम) तथा विशेष न्यायाधीश विद्युत अधिनियम, नरसिंहपुर। (श्रीमती रश्मिना चतुर्वेदी)</p> | | <p>1- जिला मुख्यालय नरसिंहपुर के अंतर्गत आने वाले समस्त थाना क्षेत्र से उत्पन्न लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत अपराधों से संबंधित विशेष सत्र प्रकरण एवं समस्त रिमाण्ड कार्यवाहियां, जमानत आवेदन तथा विविध आपराधिक प्रकरण।</p> <p>2- प्रधान जिला न्यायाधीश, द्वारा अंतरित समस्त सिविल वाद, अपीलें एवं अन्य कार्यवाहियां।</p> <p>3- मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण तथा प्रवर्तन आवेदन पत्र जो कि जिला न्यायाधीश द्वारा अंतरित किये जावें।</p> |
| | सत्र खण्ड | <p>1- सत्र न्यायाधीश, नरसिंहपुर द्वारा अंतरित सत्र प्रकरण आपराधिक अपीलें, आपराधिक पुनरीक्षण तथा प्रतिभूति आवेदन पत्र।</p> <p>2- लंबित सत्र प्रकरणों तथा आपराधिक अपीलों से संबंधित विविध आपराधिक प्रकरण तथा जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 438, 439 दं०प्र०सं०।</p> <p>3- भारतीय विद्युत अधिनियम 2003 के अंतर्गत उत्पन्न समस्त विशेष प्रकरण तथा जमानत आवेदन पत्र, (गाडरवारा एवं तेन्दूखेड़ा के विद्युत क्षेत्र को छोड़कर)।</p> |
| <p>7- प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश तथा विशेष न्यायाधीश (विद्युत अधिनियम) गाडरवारा।</p> | <p>गाडरवारा एवं तेन्दूखेड़ा तहसील</p> | <p>1- एक करोड़ एक रूपये से अधिक मूल्यांकन के समस्त सिविल वाद प्रवर्तन आवेदन पत्र तथा सिविल विविध प्रकरण।</p> <p>2- म०प्र० नगरपालिका अधिनियम के अंतर्गत चुनाव याचिकायें।</p> <p>3- आरबीट्रेशन एण्ड कन्सीलिएशन एक्ट 1996 की धारा 9 एवं 11 के अंतर्गत तथा धारा 34, 36 के अंतर्गत</p> |

| न्यायालय | क्षेत्र | किये जाने वाले कार्य का विवरण |
|-------------------|---------|--|
| (1) | (2) | (3) |
| (श्री संजय वर्मा) | | <p>आवेदन पत्र एवं आरबीट्रेशन एण्ड कन्सीलिएशन एक्ट से सम्बंधित निष्पादन प्रकरण ।</p> <p>4- हिन्दू विवाह अधिनियम/ हिन्दू अव्यस्कता संरक्षण अधिनियम हिन्दू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम/ इंडियन डायवोर्स एक्ट/स्पेशल मेरिज एक्ट/ गार्जियनशिप एण्ड वार्डस एक्ट के अंतर्गत प्रस्तुत याचिकायें ।</p> <p>5- म.प्र. लोक न्यास अधिनियम से संबंधित समस्त प्रकरण ।</p> <p>6- भू-अर्जन के अंतर्गत रिफरेंस व अपील ।</p> <p>7- भारतीय उत्तराधिकार के प्रकरण (भाग 10) को छोड़कर ।</p> <p>8- निराकृत सिविल वादो/मोटर दावा प्रकरणों अन्य याचिकाओं में पारित आज्ञप्तियों, आदेशों, अवार्ड से संबंधित प्रवर्तन आवेदन पत्र तथा विविध सिविल प्रकरण ।</p> <p>9- लघुवाद दावे रू0 501 से 1000 तक ।</p> <p>10- मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण तथा प्रवर्तन आवेदन पत्र जो कि प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा अंतरित किये जावें ।</p> <p>11- प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा अंतरित समस्त सिविल वाद अपीलें एवं अन्य कार्यवाहियां ।</p> <p>12- ऐसे समस्त अधिनियमों के अंतर्गत उद्भूत सिविल प्रकृति के प्रकरण जिनका उल्लेख इस आदेश में न हो तथा अनन्यतः प्रधान जिला न्यायाधीश, नरसिंहपुर की श्रवणाधिकारिता के न हो परन्तु इस न्यायालय के श्रवणाधिकारिता के हों ।</p> <p>13- व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड तेन्दूखेड़ा/व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड, तेन्दूखेड़ा के न्यायालय के</p> |

| न्यायालय | क्षेत्र | किये जाने वाले कार्य का विवरण |
|----------|-----------|---|
| (1) | (2) | (3) |
| | | <p>अतिरिक्त न्यायाधीश/प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड, तेन्दूखेड़ा के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, द्वारा पारित आज्ञप्तियों/आदेशों के विरुद्ध समस्त अपीलें।</p> <p>14- प्रथम/द्वितीय/तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड, गाडरवारा के आज्ञप्तियों/आदेशों के विरुद्ध समस्त अपीलें।</p> <p>15- प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड गाडरवारा के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के आज्ञप्तियों/आदेशों के विरुद्ध समस्त अपीलें।</p> <p>16- तहसील स्थापना गाडरवारा में पूर्व में पदस्थापित समस्त अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ/कनिष्ठ खंड गाडरवारा के आज्ञप्तियों/आदेशों के विरुद्ध समस्त अपीलें।</p> |
| | सत्र खण्ड | <p>1- भारतीय विद्युत अधिनियम 2003 के अंतर्गत उत्पन्न समस्त विशेष प्रकरण तथा जमानत आवेदन पत्र, गाडरवारा तथा तेन्दूखेड़ा के विद्युत क्षेत्र से संबंधित।</p> <p>2- सत्र न्यायाधीश नरसिंहपुर द्वारा अंतरित सत्र प्रकरण आपराधिक अपीलें तथा आपराधिक पुनरीक्षण एवं प्रतिभूति आवेदन पत्र।</p> <p>3- लंबित सत्र प्रकरणों तथा आपराधिक अपीलों से संबंधित विविध आपराधिक प्रकरण तथा जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 438, 439 दं0प्र0सं0।</p> <p>4- तहसील तेंदूखेड़ा के कार्यपालिक मजिस्ट्रेट के आदेशों के विरुद्ध उत्पन्न पुनरीक्षण आवेदन पत्र एवं विविध कार्यवाहियां।</p> |

| न्यायालय | क्षेत्र | किये जाने वाले कार्य का विवरण |
|--|---------|---|
| (1) | (2) | (3) |
| | | <p>5- थाना-चीचली, तेदूखेडा, जी.आर.पी. गाडरवारा एवं सुआतला (वे क्षेत्र जो गाडरवारा एवं तेदूखेडा तहसील के अंतर्गत आते हैं), क्षेत्र से उत्पन्न जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा- 438, 439 दंड प्रक्रिया संहिता।</p> <p>6- तहसील तेदूखेडा में पूर्व में पदस्थ रहे न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी एवं वर्तमान में पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा निराकृत आपराधिक प्रकरणों से उत्पन्न आपराधिक अपीलें एवं पुनरीक्षण के संबंध में प्रारंभिक सुनवाई हेतु प्रस्तुत होने वाले आवेदन पत्र।</p> <p>7- तहसील गाडरवारा के कार्यपालिक मजिस्ट्रेट के आदेशों के विरुद्ध उत्पन्न पुनरीक्षण आवेदन पत्र एवं विविध कार्यवाहियां।</p> <p>8- ग्राम न्यायालय गाडरवारा के निर्णय/आदेश से उत्पन्न अपीलें एवं अन्य कार्यवाहियां।</p> |
| <p>8- द्वितीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश गाडरवारा। (डॉ श्रीमती अंजली पारे)</p> | | <p>1- द्वितीय/तृतीय जिला न्यायाधीश, गाडरवारा द्वारा निराकृत सिविल वादो/मोटर दावा प्रकरणों अन्य याचिकाओं में पारित आज्ञप्तियों, आदेशों, अवार्ड से संबंधित प्रवर्तन आवेदन पत्र तथा विविध सिविल प्रकरण।</p> <p>2- प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड, गाडरवारा की न्यायालय के प्रथम/द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश के आज्ञप्तियों/आदेशो के विरुद्ध समस्त अपीलें।</p> <p>3- ऐसे समस्त अधिनियमों के अंतर्गत उद्भूत सिविल प्रकृति के प्रकरण जिनका उल्लेख इस आदेश में न हो तथा अनन्यतः प्रधान जिला न्यायाधीश, नरसिंहपुर की श्रवणाधिकारिता के न हो परन्तु इस न्यायालय के श्रवणाधिकारिता के हों।</p> |

| न्यायालय | क्षेत्र | किये जाने वाले कार्य का विवरण |
|----------|-----------|---|
| (1) | (2) | (3) |
| | | <p>4- तहसील गाडरवारा एवं तेन्दूखेड़ा के अंतर्गत आने वाले समस्त थाना क्षेत्रों से उत्पन्न मोटरयान अधिनियम 1988 के अंतर्गत मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण एवं प्रवर्तन आवेदन पत्र।</p> <p>5- प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा अंतरित समस्त सिविल वाद अपीलें एवं अन्य कार्यवाहियां।</p> <p>6- मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण तथा प्रवर्तन आवेदन पत्र जो कि जिला न्यायाधीश द्वारा अंतरित किये जावें।</p> |
| | सत्र खण्ड | <p>1- तहसील गाडरवारा एवं तेन्दूखेड़ा के अंतर्गत आने वाले समस्त थाना क्षेत्र से उत्पन्न लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत अपराधों से संबंधित विशेष सत्र प्रकरण एवं समस्त रिमाण्ड कार्यवाहियां, जमानत आवेदन तथा विविध आपराधिक प्रकरण।</p> <p>2- सत्र न्यायाधीश नरसिंहपुर द्वारा अंतरित सत्र प्रकरण आपराधिक अपीलें तथा आपराधिक पुनरीक्षण तथा प्रतिभूति आवेदन पत्र।</p> <p>3- लंबित सत्र प्रकरणों तथा आपराधिक अपीलों से संबंधित विविध आपराधिक प्रकरण तथा जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 438, 439 दं०प्र०सं०।</p> <p>4- थाना-गाडरवारा, साईंखेड़ा एवं करेली (वे क्षेत्र जो गाडरवारा तहसील के अंतर्गत आते हैं) क्षेत्र से उत्पन्न जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा- 438, 439 दं०प्र०सं०।</p> <p>5- क्षेत्र - गाडरवारा एवं तेन्दूखेडा तहसील में घटित घटना के संबंध में महिला थाना नरसिंहपुर में पंजीबद्ध हुये अपराधों से संबंधित धारा- 438, 439 दं०प्र०सं० के</p> |

| न्यायालय | क्षेत्र | किये जाने वाले कार्य का विवरण |
|---|-----------|--|
| (1) | (2) | (3) |
| | | अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले जमानत आवेदन पत्र। |
| <p>9- तृतीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश गाडरवारा (रिक्त न्यायालय)</p> | | <p>1- तृतीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, गाडरवारा की न्यायालय के द्वारा निराकृत प्रकरणों से उत्पन्न होकर अपील न्यायालय के आदेश के पालन में की जाने वाली समस्त कार्यवाहियां तथा तृतीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश गाडरवारा (रिक्त न्यायालय) को माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर से अंतरित होकर प्राप्त होने वाले आदेश /मूल अभिलेख एवं विभिन्न पत्रावलियों से संबंधित कार्यवाहियां द्वितीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, गाडरवारा (श्रीमती अंजली पारे) द्वारा की जाएंगी।</p> |
| <p>10- चतुर्थ जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश गाडरवारा। (श्री राजेश शर्मा)</p> | | <p>1- प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा अंतरित समस्त सिविल वाद, अपीलें एवं अन्य कार्यवाहियां। 2- मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण तथा प्रवर्तन आवेदन पत्र जो प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा अंतरित किये जावे। 3- चतुर्थ जिला न्यायाधीश द्वारा निराकृत सिविल वादों/मोटर दावा प्रकरणों में पारित आज्ञाप्ति तथा अवार्ड के प्रवर्तन प्रकरण/विविध सिविल प्रकरण।</p> |
| | सत्र खण्ड | <p>1- सत्र न्यायाधीश, नरसिंहपुर द्वारा अंतरित सत्र प्रकरण आपराधिक अपीलें, आपराधिक पुनरीक्षण तथा प्रतिभूति आवेदन पत्र। 2- लंबित सत्र प्रकरणों तथा आपराधिक अपीलों से संबंधित</p> |

| न्यायालय | क्षेत्र | किये जाने वाले कार्य का विवरण |
|---|---|--|
| (1) | (2) | (3) |
| | | <p>विविध आपराधिक प्रकरणों तथा जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा- 438, 439 दं०प्र०सं० ।</p> <p>3- तहसील गाडरवारा में पदस्थ समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा निराकृत आपराधिक प्रकरणों से उत्पन्न आपराधिक अपीलें एवं पुनरीक्षण के संबंध में प्रारंभिक सुनवाई हेतु प्रस्तुत होने वाले आवेदन पत्र ।</p> <p>4- थाना-पलोहा, एवं डोंगरगांव क्षेत्र से उत्पन्न जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा-438,439 दं.प्र.सं.</p> <p>5- तृतीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, गाडरवारा (रिक्त न्यायालय) को माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर से अंतरित होकर प्राप्त होने वाले आदेश/मूल अभिलेख एवं विविध पत्रावलियों से संबंधित कार्यवाहियां चतुर्थ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, गाडरवारा द्वारा संपादित की जावेंगी ।</p> |
| <p>11- प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नरसिंहपुर (श्रीमती अपर्णा आर. शर्मा)</p> | | <p>1- प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा अंतरित सिविल प्रकरण प्रवर्तन आवेदन पत्र तथा विविध सिविल प्रकरण ।</p> <p>2- सिविल प्रकरण व अपील जिनकी श्रवणाधिकारिता व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड को हो तथा जो किसी अन्य को इस कार्यविभाजन पत्रक में न दिये गये हों ।</p> <p>3- आपराधिक कार्य मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नरसिंहपुर द्वारा जारी कार्य विभाजन आदेश अनुसार ।</p> <p>4- दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 410 के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र ।</p> |
| <p>12-तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड/ न्यायिक दंडाधिकारी</p> | <p>नरसिंहपुर करेली एवं गोटेगाँव तहसील</p> | <p>1- पाँच लाख एक रूपये से 1,00,00,000 रूपये मूल्य तक के समस्त सिविल वाद प्रवर्तन आवेदन पत्र तथा सिविल विविध प्रकरण ।</p> <p>2- लघुवाद अधिनियम के अंतर्गत बाद रू० दो सौ एक से</p> |

| न्यायालय | क्षेत्र | किये जाने वाले कार्य का विवरण |
|--|-------------------------------------|---|
| (1) | (2) | (3) |
| <p>प्रथम श्रेणी नरसिंहपुर। (श्रीमती संगीता भारती राठौर)</p> | | <p>पाँच सौ रूपये तक।</p> <p>3- भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के भाग 10 के अंतर्गत उत्तराधिकार प्रमाण पत्र चाहने के आवेदन पत्र।</p> <p>4- प्राविसियल इन्सालवेंसी अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण रूपये पचास हजार तक।</p> <p>5- प्रथम/द्वितीय/तृतीय, व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड, तथा प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड, नरसिंहपुर के न्यायालय के प्रथम/द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश की न्यायालय द्वारा निराकृत किए गये व्यवहार वाद प्रकरणों से उत्पन्न निष्पादन एवं विविध प्रकरण तथा अपीलीय न्यायालय से प्राप्त आदेश/निर्णय संबंधी समस्त कार्यवाहियां।</p> <p>6- प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा अंतरित सिविल प्रकरण, प्रवर्तन आवेदन पत्र तथा विविध सिविल प्रकरण।</p> <p>7- आपराधिक कार्य मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नरसिंहपुर द्वारा जारी कार्य विभाजन आदेश अनुसार।</p> |
| <p>13-प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड गाडरवारा की न्याया. के प्रथम अति.व्यवहार न्यायाधीश / न्यायिक दंडाधिकारी</p> | <p>गाडरवारा एवं तेदूखेड़ा तहसील</p> | <p>1- पांच लाख एक रूपये से रूपये 1,00,00,000/- रूपये मूल्यांकन तक के समस्त सिविल वाद प्रवर्तन आवेदन पत्र तथा सिविल विविध प्रकरण।</p> <p>2- भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के भाग-10 के अंतर्गत उत्तराधिकार प्रमाण पत्र चाहने के आवेदन।</p> <p>3- लघुवाद अधिनियम के अंतर्गत वाद रूपये दो सौ एक से पाँच सौ रूपये तक।</p> |

| न्यायालय | क्षेत्र | किये जाने वाले कार्य का विवरण |
|---|---|--|
| (1) | (2) | (3) |
| <p>प्रथम श्रेणी गाडरवारा (श्रीमती आरती ढींगरा)</p> | | <p>4- प्राविसियल इन्सालवेंसी अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण रुपये पचास हजार तक</p> <p>5- प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा अंतरित सिविल प्रकरण प्रवर्तन आवेदन पत्र तथा विविध सिविल प्रकरण ।</p> <p>6- आपराधिक कार्य मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नरसिंहपुर द्वारा जारी कार्य विभाजन आदेश अनुसार ।</p> <p>7- प्रथम/द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड, गाडरवारा की न्यायालय द्वारा निराकृत किये गये व्यवहार वाद प्रकरणों से उत्पन्न निष्पादन एवं विविध प्रकरण ।</p> <p>8- प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड गाडरवारा की न्यायालय के प्रथम/द्वितीय अति. न्यायाधीश की न्यायालय द्वारा निराकृत किये गये व्यवहार वाद प्रकरणों से उत्पन्न निष्पादन एवं विविध प्रकरण ।</p> |
| <p>14-प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड गाडरवारा की न्याया. के द्वितीय अति. न्यायाधीश / न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी गाडरवारा तथा न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय, गाडरवारा (श्री अश्विन</p> | <p>तहसील गाडरवारा एवं तेन्दूखेड़ा की क्षेत्रीय अधि-कारिता के अंतर्गत आने वाली पंचायत/ जनपद पंचायत</p> | <p>1- प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा अंतरित सिविल प्रकरण प्रवर्तन आवेदन पत्र तथा विविध सिविल प्रकरण ।</p> <p>2- आपराधिक कार्य मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नरसिंहपुर द्वारा जारी कार्य विभाजन आदेश अनुसार ।</p> <p>3- ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 में लेख किये गये ग्राम न्यायालय की अधिकारिता के अंतर्गत आने वाले सिविल एवं आपराधिक प्रकरण ।</p> <p>4- ग्रामीण न्याय पंचायत के निर्णय एवं आदेशों के विरुद्ध अपीलें पुनरीक्षण धारा-31(ख) म.प्र. ग्राम न्यायालय अधिनियम 1996</p> |

| न्यायालय | क्षेत्र | किये जाने वाले कार्य का विवरण |
|---|--|--|
| (1) | (2) | (3) |
| परमार) | | |
| <p>15-प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी एवं प्रधान मजिस्ट्रेट किशोर न्याय बोर्ड, नरसिंहपुर। (सुश्री पूजा गोले)</p> | | <p>1- प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा अंतरित सिविल प्रकरण प्रवर्तन आवेदन पत्र तथा विविध सिविल प्रकरण ।</p> <p>2- आपराधिक कार्य मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नरसिंहपुर द्वारा जारी कार्य विभाजन आदेश अनुसार।</p> <p>3- किशोर न्याय बोर्ड(बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2000 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले नरसिंहपुर जिले से उद्भूत समस्त प्रकरण।</p> |
| <p>16- द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड नरसिंहपुर एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, नरसिंहपुर (श्री शुभम मोदी)</p> | <p>नरसिंहपुर एवं करेली तहसील (दिनांक 02.01.2023 से दिनांक 30.04.2023 तक की अवधि के लिए केवल)</p> | <p>1- 5,00,000 रुपये मूल्यांकन तक के समस्त सिविल वाद प्रवर्तन आवेदन पत्र तथा सिविल विविध प्रकरण।</p> <p>2- लघुवाद अधिनियम के अंतर्गत वाद रुपये दौ सौ तक।</p> <p>3- प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा अंतरित सिविल प्रकरण प्रवर्तन आवेदन पत्र तथा विविध सिविल प्रकरण।</p> <p>4- आपराधिक कार्य मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नरसिंहपुर द्वारा जारी कार्य विभाजन आदेशानुसार।</p> <p>5- प्रथम/द्वितीय/तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड, नरसिंहपुर की न्यायालय द्वारा निराकृत किए गये व्यवहार वाद प्रकरणों से उत्पन्न निष्पादन एवं विविध प्रकरण तथा अपीलीय न्यायालय से प्राप्त आदेश/निर्णय संबंधी समस्त कार्यवाहियां।</p> |

| न्यायालय | क्षेत्र | किये जाने वाले कार्य का विवरण |
|---|--|--|
| (1) | (2) | (3) |
| <p>17'-तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड, नरसिंहपुर एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, नरसिंहपुर (सुश्री परिधि शर्मा)</p> | | <p>1- प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा अंतरित समस्त सिविल प्रकरण, प्रवर्तन आवेदन पत्र तथा विविध सिविल प्रकरणों। 2- आपराधिक कार्य मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नरसिंहपुर द्वारा जारी कार्य विभाजन आदेशानुसार।</p> |
| <p>18-पंचम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड, नरसिंहपुर / न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी एवं न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय नरसिंहपुर (श्री रोहित कुमार,)</p> | <p>नरसिंहपुर, एवं करेली तहसील (दिनांक 01.09.2023 से दिनांक 31.12.2023 तक की अवधि के लिए केवल) “नरसिंहपुर, गोटेगांव एवं करेली तहसील की क्षेत्रीय अधिकारिता के अंतर्गत आने वाली पंचायत / जनपद पंचायत।”</p> | <p>1- 5,00,000 रुपये मूल्यांकन तक के समस्त सिविल वाद प्रवर्तन आवेदन पत्र तथा सिविल विविध प्रकरण। 2- लघुवाद अधिनियम के अंतर्गत वाद रुपये दौ सौ तक। 3- पंचम व्य.न्याया. कनिष्ठ खंड नरसिंहपुर की न्यायालय द्वारा निराकृत किए गये व्यवहार वाद प्रकरणों से उत्पन्न निष्पादन एवं विविध प्रकरण तथा अपीलीय न्यायालय से प्राप्त आदेश/निर्णय संबंधी समस्त कार्यवाहियां। 4- प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा अंतरित सिविल प्रकरण प्रवर्तन आवेदन पत्र तथा विविध सिविल प्रकरण। 5- आपराधिक कार्य मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नरसिंहपुर द्वारा जारी कार्य विभाजन आदेशानुसार। 6- ग्रामीण नगर पंचायत के निर्णय एवं आदेशों के विरुद्ध अपील, पुनरीक्षण धारा- 31 (ख) म.प्र. ग्राम न्यायालय अधिनियम 1996 7- ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 में लेख किये गये ग्राम न्यायालय की अधिकारिता के अंतर्गत आने वाले सिविल एवं आपराधिक प्रकरण।</p> |

| न्यायालय | क्षेत्र | किये जाने वाले कार्य का विवरण |
|---|---|--|
| (1) | (2) | (3) |
| 19- प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड, की न्यायालय के चतुर्थ अतिरिक्त न्यायाधीश नरसिंहपुर (श्रीमती सविता वर्मा) | नरसिंहपुर एवं करेली तहसील (दिनांक 01.05.2023 से दिनांक 31.08.2023 तक की अवधि के लिए केवल) | <p>1- 5,00,000 रुपये मूल्यांकन तक के समस्त सिविल वाद प्रवर्तन आवेदन पत्र तथा सिविल विविध प्रकरण।</p> <p>2- लघुवाद अधिनियम के अंतर्गत वाद रुपये दौ सौ तक।</p> <p>3- प्रथम व्यव. न्याया. कनिष्ठ खंड, नरसिंहपुर की न्यायालय के चतुर्थ अतिरिक्त न्यायाधीश द्वारा निराकृत किए गये व्यवहार वाद प्रकरणों से उत्पन्न निष्पादन एवं विविध प्रकरण तथा अपीलीय न्यायालय से प्राप्त आदेश/निर्णय संबंधी समस्त कार्यवाहियां।</p> <p>4- जिला न्यायाधीश द्वारा अंतरित सिविल प्रकरण प्रवर्तन आवेदन पत्र तथा विविध सिविल प्रकरण।</p> <p>5- आपराधिक कार्य मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नरसिंहपुर द्वारा जारी कार्य विभाजन आदेशानुसार।</p> |
| 20- प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गाडरवारा। (श्रीमती भारती कश्यप) | | <p>1- जिला न्यायाधीश द्वारा अंतरित सिविल प्रकरण प्रवर्तन आवेदन पत्र तथा विविध सिविल प्रकरण।</p> <p>2- आपराधिक कार्य मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नरसिंहपुर द्वारा जारी कार्य विभाजन आदेशानुसार।</p> |
| 21- प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड गाडरवारा की न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गाडरवारा। | गाडरवारा तहसील | <p>1- 5,00,000 रुपये मूल्यांकन तक के समस्त सिविल वाद प्रवर्तन आवेदन पत्र तथा सिविल विविध प्रकरण।</p> <p>2- लघुवाद अधिनियम के अंतर्गत बाद रू0 दो सौ एक से पाँच सौ रुपये तक।</p> <p>3- प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड, गाडरवारा की न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, / प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड, गाडरवारा की न्यायालय के</p> |

| न्यायालय | क्षेत्र | किये जाने वाले कार्य का विवरण |
|---|--------------------------|---|
| (1) | (2) | (3) |
| (सुश्री भानू पण्डवार) | | <p>द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश गाडरवारा द्वारा निराकृत किये गये व्यवहार वाद प्रकरणों से उत्पन्न निष्पादन एवं विविध प्रकरण तथा अपीलीय न्यायालय से प्राप्त आदेश/निर्णय संबंधी समस्त कार्यवाहियां।</p> <p>4- प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड, गाडरवारा द्वारा निराकृत किये गये व्यवहार वाद प्रकरणों से उत्पन्न निष्पादन एवं विविध प्रकरण तथा अपीलीय न्यायालय से प्राप्त आदेश/निर्णय संबंधी समस्त कार्यवाहियां।</p> <p>5- प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा अंतरित सिविल प्रकरण, प्रवर्तन आवेदन पत्र तथा विविध सिविल प्रकरण।</p> <p>6- आपराधिक कार्य मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नरसिंहपुर द्वारा जारी कार्य विभाजन आदेशानुसार।</p> |
| <p>22- द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड गाडरवारा एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गाडरवारा। (श्रीमती हिमांशी ठाकुर भारद्वाज,)</p> | | <p>1- प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा अंतरित सिविल प्रकरण प्रवर्तन आवेदन पत्र तथा विविध सिविल प्रकरण।</p> <p>2- आपराधिक कार्य मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नरसिंहपुर द्वारा जारी कार्य विभाजन आदेशानुसार।</p> <p>3- द्वितीय/तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड, गाडरवारा द्वारा निराकृत किए गये व्यवहार वाद प्रकरणों से उत्पन्न निष्पादन एवं विविध प्रकरण तथा अपीलीय न्यायालय से प्राप्त आदेश/निर्णय संबंधी समस्त कार्यवाहियां।</p> |
| <p>23- प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड तेन्दूखेड़ा के न्यायालय के अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट,</p> | <p>तेन्दूखेड़ा तहसील</p> | <p>1- 5,00,000 रुपये मूल्यांकन तक के समस्त सिविल वाद प्रवर्तन आवेदन पत्र तथा सिविल विविध प्रकरण।</p> <p>2- लघुवाद अधिनियम के अंतर्गत वाद रू0 दो सौ एक से पांच सौ रुपये तक।</p> <p>3- प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा अंतरित सिविल प्रकरण,</p> |

| न्यायालय | क्षेत्र | किये जाने वाले कार्य का विवरण |
|---|----------------|--|
| (1) | (2) | (3) |
| प्रथम श्रेणी, तेन्दूखेड़ा (श्री पुष्पेन्द्र सिंह) | | प्रवर्तन आवेदन पत्र तथा विविध सिविल प्रकरण। 4- आपराधिक कार्य मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नरसिंहपुर द्वारा जारी कार्य विभाजन आदेशानुसार। 5- व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड, तेन्दूखेड़ा/व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड, तेन्दूखेड़ा की न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश एवं श्रृंखला न्यायालय तेन्दूखेड़ा की न्यायालय द्वारा निराकृत किए गये व्यवहार वाद प्रकरणों से उत्पन्न निष्पादन एवं विविध प्रकरण। |
| 24- व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी गोटेगांव (श्री बाँबी सोनकर) | गोटेगांव तहसील | 1- 5,00,000 रूपये मूल्यांकन तक के समस्त सिविल वाद प्रवर्तन आवेदन पत्र तथा सिविल विविध प्रकरण। 2- लघुवाद अधिनियम के अंतर्गत वाद रू0 दो सौ एक से पांच सौ रूपये तक। 3- प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा अंतरित सिविल प्रकरण, प्रवर्तन आवेदन पत्र तथा विविध सिविल प्रकरण। 4- आपराधिक कार्य मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नरसिंहपुर द्वारा जारी कार्य विभाजन आदेशानुसार। |

टिप्पणी :-

- 1- सत्र न्यायालय द्वारा अंतरित/सत्र न्यायाधीश की अनुपस्थिति में जमानत आवेदन पत्र, जिस न्यायालय द्वारा प्रथम जमानत आवेदन पत्र निराकृत किया गया हो, उसी न्यायालय द्वारा पश्चातवर्ती जमानत आवेदन पत्रों का भी निराकरण किया जावेगा। इसके साथ ही उसी अपराध से संबंधित अन्य आरोपीगण के प्रस्तुत जमानत आवेदन पत्र भी उसी सत्र न्यायालय द्वारा निराकृत किये जावेंगे जिस न्यायालय द्वारा

सह-आरोपीगण की ओर से प्रस्तुत अंतर्गत धारा- 438, 439 दंड प्रक्रिया संहिता के जमानत आवेदन पत्र का निराकरण किया है। उक्त सभी जमानत आवेदन पत्र स्वमेव अंतरित माने जावेंगे। परन्तु लंबित सत्र प्रकरणों में सह आरोपी की ओर से प्रस्तुत होने वाले जमानत आवेदन पत्र का निराकरण विचारण न्यायालय जिनके यहाँ सत्र प्रकरण लंबित है, के द्वारा किया जावेगा।

- 2- विशेष न्यायालय (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति) अत्याचार निवारण अधिनियम, विशेष न्यायालय विद्युत अधिनियम, विशेष न्यायालय एन.डी. पी.एस. एक्ट एवं विशेष न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम तथा विशेष न्यायालय(पाक्सो अधिनियम) के प्रकरणों का पंजीयन संबंधित विशेष न्यायालय में दायरा पंजी रखी जाकर पंजीयन किया जावेगा। इसी प्रकार इन विशेष न्यायालयों से संबंधित जमानत आवेदन पत्र संबंधित विशेष न्यायालयों में सीधे पेश किये जावेंगे।
- 3- अवकाश के दौरान लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत रिमाण्ड कार्यवाही के धारा-437दं.प्र.सं. के अंतर्गत जमानत आवेदन पत्र क्षेत्राधिकार रखने वाले न्यायिक दण्डाधिकारी अथवा मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जा सकेंगे तदानुसार संबंधित दण्डाधिकारी विधिक प्रावधानों के प्रकाश में निराकरण कर सकेंगे।
- 4- रजिस्ट्रार, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से संबंधित समस्त कार्य जिला रजिस्ट्रार, नरसिंहपुर द्वारा संपादित किया जावेगा।
- 5- लोक अदालत की खंडपीठ द्वारा निराकृत प्रकरणों से उत्पन्न निष्पादन वादों का प्रस्तुतिकरण एवं निराकरण उसी खंडपीठ द्वारा किया जावेगा, जिसके द्वारा प्रकरण निराकृत किया गया है।
- 6- मुख्यालय नरसिंहपुर में पूर्व में पदस्थापित अपर जिला न्यायाधीश के न्यायालय जिनकी पदस्थापना वर्तमान में नहीं है, तथा जिनके कार्य विभाजन का आदेश इस कार्य विभाजन पत्रक में नहीं है, से संबंधित समस्त कार्यवाहियां **प्रथम जिला न्यायाधीश, नरसिंहपुर (श्री अखिलेश कुमार धाकड़)** द्वारा संपादित की जावेगी।
- 7- तहसील मुख्यालय गाडरवारा में पूर्व में पदस्थापित अपर जिला न्यायाधीश के न्यायालय जिनकी पदस्थापना वर्तमान में नहीं है, तथा जिनके कार्य विभाजन का आदेश इस कार्य विभाजन पत्रक में नहीं है, से संबंधित समस्त कार्यवाहियां **चतुर्थ जिला न्यायाधीश, गाडरवारा (श्री राजेश शर्मा)** द्वारा संपादित की जावेगी।
- 8- मुख्यालय नरसिंहपुर में पूर्व में पदस्थापित समस्त व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड के

न्यायालय जिनकी पदस्थापना वर्तमान में नहीं है, तथा जिनके कार्य विभाजन का आदेश इस कार्य विभाजन पत्रक में नहीं है, से संबंधित समस्त कार्यवाहियां **तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड, नरसिंहपुर (श्रीमती संगीता भारती राठौर)** द्वारा संपादित की जावेगी।

- 9— मुख्यालय नरसिंहपुर में पूर्व में पदस्थापित **समस्त व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड** के न्यायालय जिनकी पदस्थापना वर्तमान में नहीं है, तथा जिनके कार्य विभाजन का आदेश इस कार्य विभाजन पत्रक में नहीं है, से संबंधित समस्त कार्यवाहियां **पंचम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड, नरसिंहपुर(श्री रोहित कुमार)** द्वारा संपादित की जावेगी।

- 10- तहसील मुख्यालय गाडरवारा में पूर्व में पदस्थापित **समस्त व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड** के न्यायालय जिनकी पदस्थापना वर्तमान में नहीं है, तथा जिनके कार्य विभाजन का आदेश इस कार्य विभाजन पत्रक में नहीं है, से संबंधित समस्त कार्यवाहियां **प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड, गाडरवारा की न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश(श्रीमती आरती ढींगरा)** द्वारा संपादित की जावेगी।
- 11- तहसील मुख्यालय गाडरवारा में पूर्व में पदस्थापित **समस्त व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड** के न्यायालय जिनकी पदस्थापना वर्तमान में नहीं है, तथा जिनके कार्य विभाजन का आदेश इस कार्य विभाजन पत्रक में नहीं है, से संबंधित समस्त कार्यवाहियां **प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड, गाडरवारा की न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश (सुश्री भानु पण्डवार)** द्वारा संपादित की जावेगी।
- 12- विशेष न्यायाधीश, एन.डी.पी.एस. एक्ट, नरसिंहपुर के अवकाश पर रहने पर एन.डी. पी.एस. एक्ट के प्रकरणों से संबंधित अर्जेंट आवेदनों की सुनवाई जिला मुख्यालय नरसिंहपुर पर उपलब्ध **वरिष्ठ अपर सत्र न्यायाधीश** द्वारा की जावेगी, जिला मुख्यालय नरसिंहपुर में कोई भी अपर सत्र न्यायाधीश उपस्थित न होने पर सत्र न्यायाधीश, नरसिंहपुर द्वारा सुनवाई की जावेगी।
- 13- विशेष न्यायाधीश, एस.सी.एस.टी. एक्ट नरसिंहपुर के अवकाश पर रहने से एस. सी.एस.टी. एक्ट के प्रकरणों से संबंधित अर्जेंट आवेदनों की सुनवाई, जिला मुख्यालय नरसिंहपुर पर पदस्थ **वरिष्ठ अपर सत्र न्यायाधीश, नरसिंहपुर** द्वारा की जावेगी, जिला मुख्यालय नरसिंहपुर में कोई भी अपर सत्र न्यायाधीश उपस्थित न होने पर सत्र न्यायाधीश, नरसिंहपुर द्वारा की जावेगी एवं उक्त सभी की अनुपस्थिति में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नरसिंहपुर द्वारा की जावेगी।

**प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
नरसिंहपुर.**

जिला मुख्यालय नरसिंहपुर तथा तहसील गाडरवारा के न्यायालयों के न्यायाधीशगण के अवकाश/ अनुपस्थिति/अस्थाई रिक्ति की स्थिति में निम्नांकित न्यायालयों द्वारा आवश्यक कार्य किया जावेगा।

| क्रं. | न्यायालय | प्रथम उत्तरवर्ती न्यायालय | द्वितीय उत्तरवर्ती न्यायालय | तृतीय उत्तरवर्ती न्यायालय |
|-------|--|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरसिंहपुर (एम.के.शर्मा) | विशेष न्यायाधीश (एट्रो) नरसिंहपुर (श्री अखिलेश शुक्ला) | द्वितीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, नरसिंहपुर (श्री कपिल कुमार मेहता) | प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, नरसिंहपुर (श्री अखिलेश कुमार धाकड़) |
| 2 | प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, नरसिंहपुर (श्री देवेन्द्र पाल सिंह गौर) | प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरसिंहपुर (एम.के.शर्मा) | विशेष न्यायाधीश (एट्रो) नरसिंहपुर (श्री अखिलेश शुक्ला) | द्वितीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, नरसिंहपुर (श्री कपिल कुमार मेहता) |
| 3 | विशेष न्यायाधीश(एट्रोसिटी) एवं प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश नरसिंहपुर के न्यायालय के प्रथम अति. न्यायाधीश (श्री अखिलेश शुक्ला) | द्वितीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश नरसिंहपुर (श्री कपिल कुमार मेहता) | प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, नरसिंहपुर (श्री अखिलेश कुमार धाकड़) | चतुर्थ जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, नरसिंहपुर (श्रीमती रश्मिना चतुर्वेदी) |
| 4 | प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, नरसिंहपुर (श्री अखिलेश कुमार धाकड़) | विशेष न्यायाधीश (एट्रो) नरसिंहपुर (श्री अखिलेश शुक्ला) | द्वितीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, नरसिंहपुर (श्री कपिल कुमार मेहता) | चतुर्थ जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, नरसिंहपुर (श्रीमती रश्मिना चतुर्वेदी) |
| 5 | द्वितीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, नरसिंहपुर (श्री कपिल कुमार मेहता) | प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, नरसिंहपुर (श्री अखिलेश कुमार धाकड़) | विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटी) नरसिंहपुर (श्री अखिलेश शुक्ला) | चतुर्थ जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, नरसिंहपुर (श्रीमती रश्मिना चतुर्वेदी) |
| 6 | चतुर्थ जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, नरसिंहपुर (श्रीमती रश्मिना चतुर्वेदी) | प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश नरसिंहपुर (श्री अखिलेश कुमार धाकड़) | द्वितीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, नरसिंहपुर (श्री कपिल कुमार मेहता) | विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटी) नरसिंहपुर (श्री अखिलेश शुक्ला) |
| 7 | प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश गाडरवारा (श्री संजय वर्मा) | द्वितीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश गाडरवारा | चतुर्थ जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, गाडरवारा | चतुर्थ जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, नरसिंहपुर |

| क्रं. | न्यायालय | प्रथम उत्तरवर्ती न्यायालय | द्वितीय उत्तरवर्ती न्यायालय | तृतीय उत्तरवर्ती न्यायालय |
|-------|--|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 16 | प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड गाडरवारा की न्यायालय के प्रथम अति. न्यायाधीश, (श्रीमती आरती ढींगरा) | प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड गाडरवारा की न्यायालय के द्वितीय अति. न्यायाधीश (श्री अश्विन परमार) | द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड, गाडरवारा (श्रीमती हिमांशी ठाकुर भारद्वाज) | प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड, गाडरवारा (श्रीमती भारती केशरी कश्यप) |
| 17 | प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड गाडरवारा की न्यायालय के द्वितीय अति. न्यायाधीश (श्री अश्विन परमार) | प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड गाडरवारा की न्याया के प्रथम अति. न्यायाधीश (श्रीमती आरती ढींगरा) | द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड, गाडरवारा (श्रीमती हिमांशी ठाकुर भारद्वाज) | प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड, गाडरवारा (श्रीमती भारती केशरी कश्यप) |
| 18 | प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड, गाडरवारा (श्रीमती भारती केशरी कश्यप) | द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड, गाडरवारा (श्रीमती हिमांशी ठाकुर भारद्वाज) | अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड, गाडरवारा (सुश्री भानू पण्डवार) | प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड गाडरवारा की न्यायालय के द्वितीय अति. न्यायाधीश (श्री अश्विन परमार) |
| 19 | द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड, गाडरवारा (श्रीमती हिमांशी ठाकुर भारद्वाज) | अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड, गाडरवारा (सुश्री भानू पण्डवार) | प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड गाडरवारा की न्यायालय के द्वितीय अति. न्यायाधीश (श्री अश्विन परमार) | प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड, गाडरवारा (श्रीमती भारती केशरी कश्यप) |
| 20 | अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड, गाडरवारा (सुश्री भानू पण्डवार) | द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड, गाडरवारा (श्रीमती हिमांशी ठाकुर भारद्वाज) | प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड गाडरवारा की न्यायालय के द्वितीय अति. न्यायाधीश (श्री अश्विन परमार) | प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड, गाडरवारा (श्रीमती भारती केशरी कश्यप) |
| 21 | प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड, तेन्दूखेड़ा की न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश (श्री पुष्पेन्द्र सिंह) | प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड गाडरवारा की न्यायालय के द्वितीय अति. न्यायाधीश (श्री अश्विन परमार) | द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड, गाडरवारा (श्रीमती हिमांशी ठाकुर भारद्वाज) | प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड, गाडरवारा (श्रीमती भारती केशरी कश्यप) |
| 22 | द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड, गोटेगांव (श्री बाँबी सोनकर) | द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड, नरसिंहपुर (श्री शुभम मोदी) | पंचम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड, नरसिंहपुर (श्री रोहित कुमार) | प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड नरसिंहपुर की न्यायालय के चतुर्थ अतिरिक्त न्यायाधीश (श्रीमती सविता वर्मा) |

नोट:- स्तम्भ क्रमांक- 2,3,4 एवं 5 में दर्शित न्यायालय के अनुपस्थिति/अवकाश पर रहने से मुख्यालय/तहसील मुख्यालय में कार्यरत वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी द्वारा अवश्यक सिविल एवं आपराधिक कार्य सम्पादित किया जावेगा।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
नरसिंहपुर.

कार्यालय : जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नरसिंहपुर (म0प्र0)

पृष्ठांकन क्र.— / एक-11-1 / 80

नरसिंहपुर, दिनांक— जनवरी 2023

प्रतिलिपि:—

- 1— रजिस्ट्रार जनरल उच्च न्यायालय म0प्र0 जबलपुर ,
- 2— विशेष न्यायाधीश, {अ.जा.ज.जा.अत्या.निवारण अधिनियम एवं एन0डी0पी0एस0 एक्ट},
नरसिंहपुर
- 3— प्रथम/द्वितीय/चतुर्थ जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, नरसिंहपुर/गाडरवारा
- 4— प्रभारी अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग, नरसिंहपुर/गाडरवारा/तेंदूखेड़ा/गोटेगांव
- 5— प्रथम/द्वितीय/तृतीय/अति. व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड, नरसिंहपुर/गाडरवारा
- 6— प्रथम/द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ/पंचम/अतिरिक्त/ व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड,
नरसिंहपुर/गाडरवारा/तेंदूखेड़ा/गोटेगांव
- 7— जिला दण्डाधिकारी, नरसिंहपुर
- 8— पुलिस अधीक्षक/उपसंचालक, अभियोजन अधिकारी, नरसिंहपुर
- 9— अध्यक्ष, अभिभाषक संघ, नरसिंहपुर/गाडरवारा/तेंदूखेड़ा/गोटेगांव
- 10— प्रशासनिक अधिकारी/उप प्रशासनिक अधिकारी नरसिंहपुर
- 11— प्रस्तुतकार, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नरसिंहपुर
- 12— कार्यालय मोहरीर, कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरसिंहपुर
को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
नरसिंहपुर.